कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(शाखा–सूचना प्रौद्योगिकी) वन विभाग, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष: 0755-2674302 | **ई.मेल: anurag@mpforest.org**
फैक्स: 0755-2555480 | **apccfit@mpforest.org**

क्रमांक / सू.प्रौ. / 776 भोपाल, दिनांक : 04/06/16

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
समस्त वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
मध्य प्रदेश

विषय : सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के अंतर्गत जीआईएस डेटा का निर्माण संधारण एवं आर्काईव करने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण बावत।

––0––

विषयांतर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश के अनुमोदन जीआईएस डेटा का निर्माण संधारण एवं आर्काईव करने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(सू.प्रौ.)
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक / सू.प्रौ. / 777 भोपाल, दिनांक : 04/06/16

प्रतिलिपि,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(सू.प्रौ.)
मध्य प्रदेश भोपाल

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के अंतर्गत जीआईएस डेटा का निर्माण, संधारण, उपयोग एवं आर्काईव करने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण

वन विभाग द्वारा एनआईसी के माध्यम से नक्शों के डिजिटाईजेशन का कार्य बड़े पैमाने पर कराया गया था। कालांतर में इस डेटा को परिष्कृत/सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रारंभिक तौर पर ऐसी कार्यआयोजनाएं जो निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही है में इस कार्यवाही को प्रारंभ किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना द्वारा नक्शों के निर्माण के लिये सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के परामर्श से एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें नक्शों के संबंध में प्रक्रिया तय की गई सुलभ संदर्भ के लिये इस परिपत्र की छायाप्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है :–

1. नक्शों का नामकरण : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रीय/कार्यआयोजना अमले द्वारा ब्लॉक मैप तथा नोटीफिकेशन उपलब्ध कराए जाते हैं। शाखा द्वारा इसको स्केन करने के उपरान्त जियोरिफ्रेन्स किया जाता है एवं तत्पश्चात् डिजिटाईजेशन किया जाता है। डिजिटाईजेशन के उपरान्त तैयार की गई शेप फाईल को निम्नानुसार नामाकरण किया जाये:
   a. जिले का नाम जो ई–मेल के लिये निर्धारित जिलाकोड से लिया जायेगा (सुलभ संदर्भ के लिये कोड की छायाप्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है)
   b. वनमण्डल का नाम यथा East E, West W, North N, South S का उपयोग जिले के नाम के पश्चात किया जायेगा।
   c. तत्पश्चात ब्लॉक का नाम केपिटल अक्षरों में किया जायेगा।
   d. अंत में शेप फाईल के निर्माण का वर्ष दिया जायेगा।
   e. उदाहरण के लिये बैतूल पश्चिम वनमण्डल के दुलहरा ब्लॉक का नामकरण निम्नानुसार किया जायेगा BTL_W_DULEHRA_2016 ।
   f. एनआईसी के माध्यम से कराए गए डिजिटाईजेशन के डेटा को निम्नानुसार नामकरण दिया जायेगा BTL_W_DULEHRA_NIC_ARCHIVE तथा इस डेटा का भविष्य में केवल ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिये ही किया जायेगा तथा इस डेटा का अन्य कोई उपयोग वर्जित होगा।

g. इस तरह बनाए गए ब्लॉक को कालांतर में किसी कारणवश यदि आर्काईव किया जाता है तो नाम के अंत में आर्काईव लिख दिया जायेगा। उदाहरण के लिये BTL_W_DULEHRA_2016_ARCHIVE

2. Maker-Checker-Approver की प्रक्रिया का निर्धारण : शाखा में कार्यरत जीआईएस विशेषज्ञों को वनमण्डल आवंटित है इसकी सूची परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। जीआईएस डेटा तैयार किये जाने पर वर्तमान में एक ही व्यक्ति इन तीनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है, प्रक्रियात्मक रूप से यह त्रुटिपूर्ण है। इन तीनों भूमिकाओं के लिये निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

   a. परिशिष्ट–3 में वर्णित विशेषज्ञ मेकर का कार्य करेंगे। इनके कार्यों के लिये निम्नानुसार चैकर निर्धारित किये जाते हैं :

      i. श्री आकाश डेकाटे (मेकर), के लिये श्री आशीष श्रीवास्तव (चैकर)
      ii. श्री आशीष श्रीवास्तव (मेकर) श्री धनीराम माली (चैकर)
      iii. श्री धनीराम माली (मेकर) श्री दीपक तिवारी (चैकर)
      iv. श्री दीपक तिवारी (मेकर) श्री रविन्द्र धाकड़ (चैकर)
      v. श्री रविन्द्र धाकड़ (मेकर) सुश्री संगीता यादव (चैकर)
      vi. सुश्री संगीता यादव (मेकर) श्रीमती वीना मौर्य (चैकर)
      vii. श्रीमती वीना मौर्य (मेकर) श्री आकाश डेकाटे (चैकर)

   b. शाखा में पदस्थ उप वन संरक्षक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक अप्रूवर की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अप्रूवर के द्वारा अनुमोदन पश्चात डेटा अंतिम रूप से पोर्टल पर सभी के उपयोग के लिये पब्लिश किया जायेगा।

   c. पोर्टल पर नक्शे मोजाईक के रूप में तो उपलब्ध रहेगें ही इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक वेबसाईट पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा।

3. शाखा द्वारा कार्य आयोजना अधिकारी एवं क्षेत्रीय वनमण्डल के साथ व्यवहार :– ब्लॉक नक्शों के डिजिटाईजेशन के उपरान्त संबंधित शेप फाईल डेटा को इस कार्य के लिये विशेष रूप से तैयार की गई ई–मेल आई.डी gisforest@mp.gov.in के माध्यम से संबंधित कार्यआयोजना अधिकारी के मेल आई.डी. जो yourname@mp.gov.in डोमेन पर बनी होगी, में प्रेषित किया जायेगा। जियोरिफ्रेन्सड रास्टर डेटा कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी शाखा से हार्ड डिस्क पर प्राप्त किया जायेगा।

a. संबंधित कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शों की पुष्टि/संशोधन किया जा सकेगा जिसमें केवल जियोरिफ्रेसिंग की त्रुटि को ही सुधारा जायेगा नक्शे के आकार में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा मूल नक्शों का उपयोग कर डिजिटाईजेशन किया जा रहा है नक्शों का निर्माण नहीं। चूँकि नक्शों का आधार Block maps अथवा आरक्षित वनखण्डों के लिए SOI के 4" =1 mile को ही लिया जाता है। अतः इन नक्शों के आकार में किसी भी प्रकार का संशोधन किसी स्तर से किया नहीं जा सकता। IT शाखा द्वारा केवल इन नक्शों का digitization का कार्य एवं Geo referencing का कार्य किया जा रहा है।

b. नक्शों की पुष्टि/संशोधन कार्य आयोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये वर्क स्टेशन पर किये जायेंगे तथा उनके द्वारा पुष्टि/संशोधन के उपरान्त अपने ई-मेल आई.डी yourname@mp.gov.in के माध्यम से शाखा के ई-मेल आई.डी gisforest@mp.gov.in पर भेजा जायेगा। इस डेटा को संबंधित वनमण्डल के फोल्डर में एक पृथक् फोल्डर बनाकर सुरक्षित किया जायेगा।

c. ई-मेल आई.डी gisforest@mp.gov.in पर कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा भेजे गये डेटा में शाखा से पुनर्विचार का अनुरोध होने पर शाखा द्वारा या तो इसे कारण सहित अमान्य किया जायेगा या इसे स्वीकार करते हुए संशोधन कर डेटा पुनः कार्य आयोजना अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से पुष्टि के लिये भेजा जायेगा। इन संशोधनों/सुझावों पर विचार कर कार्य आयोजना अधिकारी अंतिम डेटा शाखा की ई-मेल आई.डी gisforest@mp.gov.in को प्रेषित करेगे। उक्त डेटा फाईनल डेटा होगा जिसमें शाखा द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

4. शाखा में डेटा को संधारित करने एवं इसकी प्रतिलिपियों सुरक्षित करने की प्रक्रिया :-

a. वर्तमान में शाखा में डेटा भंडारित करने की कोई सुस्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। परिशिष्ट-3 में आवंटित वृत्तों के डेटा के बारे में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी :

i. परिशिष्ट–3 में वर्णित प्रभारी जीआईएस विशेषज्ञ अपने कम्प्यूटर पर उनको आवंटित वृत्तों के वनमण्डलों/संरक्षित क्षेत्रों का एनआईसी डेटा तथा वर्तमान में परिष्कृत किये जा रहे डेटा का भंडारण करेंगे।

ii. ब्लॉक मैप को बेस मैप बनाकर वर्तमान कार्य आयोजना का परिष्कृत डेटा तैयार करने के उपरान्त कंडिका–1 में वर्णित प्रक्रिया का पालन कर नामकरण किया जायेगा।

iii. कार्य आयोजना अधिकारियों से होने वाले व्यवहार को अलग फोल्डर में वर्जन के माध्यम से नियंत्रित किया जायेगा यथा शाखा द्वारा तैयार डेटा BTL_W_DULEHRA_2016_V1 नामांकित किया जायेगा। कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा डेटा की पुष्टि उपरान्त ब्लॉक को BTL_W_DULEHRA_2016_V2 नामांकित किया जायेगा जो सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा स्वीकार किये जाने पर BTL_W_DULEHRA_2016_V2_FINAL नामांकित करते हुए अंतिम रूप से भंडारित किया जायेगा। शाखा द्वारा यदि कोई संशोधन प्रस्तावित किये जाते है तो उन ब्लॉक्स के लिये BTL_W_DULEHRA_2016_V3 नामांकित किया जायेगा। कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के सुझाव को मान्य किये जाने/अस्वीकार किये जाने दोनों स्थिति में BTL_W_DULEHRA_2016_V4 सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को भेजा जायेगा जिसे सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा BTL_W_DULEHRA_2016_V4_FINAL नाम देकर भंडारित किया जायेगा।

iv. समस्त कार्य आयोजना अधिकारियों को वर्क स्टेशन, सॉफ्टवेयर एवं जीआईएस में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। कार्य आयोजना अधिकारी शेप फाईल में संशोधन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के वर्क स्टेशन का उपयोग करते हैं जो उचित प्रक्रिया नहीं है। वर्क स्टेशन से कार्य करने पर उस कम्प्यूटर की मैक आईडी फाईल में अंकित हो जाती है। अतः भविष्य में कार्य आयोजना अधिकारी अपने वर्क स्टेशन पर

ही संशोधन करेंगे तथा शाखा के कम्प्यूटरों का उपयोग इस कार्य के लिये वर्जित होगा।

b. डेटा के संधारण के लिये नामांकित मेकर स्थानीय वर्क स्टेशन के अतिरिक्त डेटा सेन्टर में स्थित नैस में डेटा भंडारित करेंगे इसके लिये एफटीपी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। नैस पर वनमण्डलवार फोल्डर बनाकर इसमें ब्लॉक का सबफोल्डर बनाया जायेगा इसमें ब्लॉक की स्केन कॉपी, नोटिफिकेशन की स्केन कॉपी, जियोरेफ्रेंस रास्टर फाईल, शेप फाईल तथा शेप फाईल में भौगोलिक अक्षांश/देशांतर की जानकारी जोड़कर बनाई गई जिफ (GIF) फाईल भंडारित की जायेगी।

c. जिफ फाईल एवं जियोरिफ्रेसिंग रास्टर फाईल को भी जिफ में परिवर्तित कर संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कराए जायेंगे तथा एफटीपी फोल्डर के अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

d. भोपाल में डेटा सेन्टर तथा स्थानीय कम्प्यूटरों पर उपलब्ध जानकारी यदि किसी कारणों से एक्सेसिबिल नहीं है तो डेटा हमेशा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने के लिये नैस पर बनाए गए सभी फोल्डरों की एक अनुकृति क्लाउड पर भंडारित की जायेगी जिसके लिये 1 टेराबाईट स्पेस का क्रय किया जायेगा।

प्रारूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) द्वारा अनुमोदित।

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(सू.प्रौ.)
भोपाल, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट – 1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन भू– अभिलेख
(कक्ष–कार्य आयोजना) मध्यप्रदेश भोपाल,

दूरभाषः– 0755–2674266,फैक्सः 0755–2674230, ई–मेल pccfwp@mpforest.org pccfworkingplan@gmail.com

क्रमांक / का.आ. / माचि. / 52 भोपाल दिनांक, 12/01/16

प्रति,

1. **वन संरक्षक**
   कार्य आयोजना,
   सिवनी मध्यप्रदेश
2. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक**
   कार्य आयोजना (आंचलिक)
   जबलपुर मध्यप्रदेश

विषयः– **उत्तर सिवनी वनमंडल की पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजना के प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।**

––0––

दिनांक 17.12.2015 को सम्पन्न उत्तर सिवनी वनमंडल की पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजना के प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

कृपया बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्रवाई करें।

संलग्नः– कार्यवाही विवरण
पृ0क्रं0 01 से 07

12-1-16
(जव्वाद हसन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / का.आ. / माचि. / 53 भोपाल दिनांक, 12/01/16

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी), म0प्र0।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना (आंचलिक) भोपाल एवं इंदौर म0प्र0।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म0प्र0।
4. समस्त कार्य आयोजना अधिकारी, म0प्र0।
5. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) म0प्र0।

की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि कार्यवाही विवरण की कंडिका 04 का कृपया अवलोकन करें। वनमंडल के महत्वपूर्ण अभिलेखों के संधारण तथा मानचित्रों के डिजिटाईजेशन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं प्रमाणीकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार कार्रवाई करें।

संलग्नः– कार्यवाही विवरण
पृ0क्रं0 01 से 07

12-1-16
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख
मध्यप्रदेश, भोपाल

उत्तर सिवनी सामान्य वनमण्डल की पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजना के प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक दिनांक17.12.2015 का कार्यवाही विवरण

उत्तर सिवनी सामान्य वनमण्डल की प्रचलित कार्य आयोजना द्वारा श्री पी.सी.दुबे, भा.व.से. अवधि 2005–06 से 2014–15 तक को पुनरीक्षित करने के लिये प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन पर समीक्षा हेतु दिनांक 17.12.2015 को सामुदायिक वन प्रबंध परियोजना सभाकक्ष, सतपुड़ा भवन भोपाल में **श्री नरेन्द्र कुमार, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं वन बल,प्रमुख म.प्र.भोपाल** की अध्यक्षता एवं **श्री जव्वाद हसन प्रधान मुख्य वन संरक्षक,कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख** की उपस्थिति में कार्य आयोजना के अनुमोदन हेतु गठित Standing Consultative Committee की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहेः–

01. श्री रवि श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य प्राणी अभिरक्षक म.प्र.भोपाल
02. श्री रतन पुरवार प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम म.प्र.भोपाल
03. श्री एल.के.चौधरी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना–आंचलिक, भोपाल।
04. श्री वाय सत्यम, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास म.प्र., भोपाल।
05. डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण म.प्र., भोपाल।
06. श्री ए.के.बिसारिया, अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल।
07. श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,कार्य आयोजना/वन भू–अभिलेख, म.प्र. भोपाल।
08. श्री अनुराग श्रीवास्तव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, म.प्र. भोपाल।
09. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, म.प्र., भोपाल।
10. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा, प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना–आंचलिक, जबलपुर।
11. श्री पी.के.सिंह, मुख्य वन संरक्षक,वन भू–अभिलेख, म.प्र. भोपाल।
12. श्री पी.एल.धीमान, मुख्य वन संरक्षक, इंदौर एवं प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना–आंचलिक, इंदौर।
13. श्री संजय कुमार शुक्ला, मुख्य वन संरक्षक, सिवनी वृत्त, सिवनी।
14. श्री प्रदीप वासुदेव, मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, रीवा।
15. श्री ए.के.भुगांवकर, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, खंडवा।
16. श्री एम.कालीदुरई, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, ग्वालियर।
17. श्री अनिल कुमार नागर, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, होशंगाबाद।
18. श्री मृदुल कुमार पाठक, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल।
19. श्री आर.पी.एस.बघेल, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, सागर।
20. श्री एम.सी.सिंघल वन संरक्षक, कार्य आयोजना, बैतूल।
21. श्रीमति कमलिका मोहन्ता, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, जबलपुर।
22. श्री एल.कृष्णमूर्ति, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, उज्जैन।
23. श्री अजय कुमार यादव, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, इंदौर।
24. श्री हरिशंकर मोहन्ता, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, सिवनी।
25. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, छतरपुर।
26. श्री ए.के.जोशी, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, छिन्दवाड़ा।
27. श्री अतुल खेडा, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, बालाघाट।
28. श्री एस.के.सिंह, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सिवनी, सामान्य वनमण्डल।
29. श्री ओ.पी.उचाड़िया, वनमण्डलाधिकारी, झाबुआ/अलिराजपुर, सामान्य वनमण्डल।

क्षेत्रीय कार्यालय,पश्चिम क्षेत्र,भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नही हुए।

(HS Mohanta)

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2014 में निहित प्रावधान एवं वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग को प्रेषित कार्य आयोजना मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया जाना है। प्रथम भाग क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी के द्वारा एवं द्वितीय भाग कार्य आयोजना अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन की बैठक में दोनों अधिकारियों के द्वारा अलग–अलग प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा। इस संबंध में समस्त मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय), वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) एवं कार्य आयोजना अधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, (आंचलिक) को पूर्व में ही निर्देश दिये जा चुके हैं तथा भाग एक एवं भाग दो का प्रारूप भी प्रेषित किया जा चुका है।

अतः आज की बैठक से इस प्रकिया का पालन किया जायेगा।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि जी.आई.एस. पद्धति का उपयोग कर मानचित्रों के डिजिटाइजेशन करने का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक की आई.टी. शाखा द्वारा विगत 6–7 वर्षों से किया जा रहा है। चूंकि ये तकनीक नई है इसी कारण तैयार किये गये डिजिटाइज़्ड मानचित्रों में कहीं–कहीं त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं जिनका निराकरण कार्य आयोजना अधिकारियों ने अपने स्तर पर किया है। अतः आवश्यक है कि प्रदेश में एकरूपता हेतु नक्शों के डिजिटाइजेशन की प्रकिया का निर्धारण किया जाए। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई.टी., श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कतिपय कार्य आयोजना अधिकारियों से चर्चा कर उनके द्वारा तैयार किये गये डिजिटाइज़्ड नक्शों का परीक्षण कर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख), मध्य प्रदेश, भोपाल से चर्चा कर अपनाई जाने वाली प्रकिया बावत् सुझाव दिया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुमति से श्री अनुराग श्रीवास्तव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई.टी. के द्वारा तैयार की गई इस प्रकिया का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

NIC DATA

- Has shift and needs to be corrected to comply with ground reality
- Need the Block Maps and notifications to be digitized and georeferenced
- Developed capabilities for scanning and digitization
- Territorial DFOs provide original block maps and notifications
- Convert the physical maps into digital data and geo-reference it
- WPO will be provided this data and will authenticate based on ground reality

BASE MAP

- Maps of the Revenue Department used as base Maps
- Following it up at the Government level to get this data
- In the meantime ready to provide Geo Referenced maps taken from the Bhoo Abhilekh Website
- These maps will be downloaded, stitched and geo- referenced by us and provided to the WPO
- Use World View satellite imagery for ascertaining geographical features and ownership as a secondary proof
- Images will be provided to the WPO Process to be followed
- WPO will take NIC data from us and will verify it from the field

- If there is shift the rectification will have to be done using the Revenue Map as base map
- The Block map layer will also be used to ascertain ownership
- Data will be authenticated by the Territorial DFO
- Developed protocols for using Electronic Signature on the maps
- Maps will be signed by the Territorial DFO and will be kept for record on A4 sheets (print)

4. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा कार्य आयोजना अधिकारियों के द्वारा बताई गई व्यवहारिक कठिनाईयों पर चर्चा करने के पश्चात् मानचित्रों के डिजिटाइजेशन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया का निम्नानुसार निर्धारण किया गया :–

(1) प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वनमण्डल के समस्त R.F. एवं P.F. के Block Maps, Block History, Blok Notification एवं Survey & Demarcation Completion Report वनमण्डल में उपलब्ध है। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक दिनांक 31.3.2016 तक वनमण्डल में इन अभिलेखों की उपलब्धता की जानकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) को भेजेंगे। अनुपलब्ध अभिलेखों को प्राप्त करने की क्या कार्रवाई की गई तथा कब तक उपलब्ध हो जाएँगे, बावत् भी मुख्य वन संरक्षक अपना प्रतिवेदन देंगे।

(कार्रवाई –समस्त मुख्य वन संरक्षक,(क्षेत्रीय)/समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

(2) प्रत्येक वनमण्डल के R.F. एवं P.F. के Block Maps को आधार मानकर डिजिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा।

Block Maps की मूल प्रतियां प्रधान मुख्य वनसंरक्षक की आई.टी. शाखा को कार्य आयोजना अधिकारी/वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) भेजेंगे। आई.टी. शाखा द्वारा इनका डिजिटाइजेशन का कार्य अपने स्तर पर किया जाएगा।

(कार्रवाई – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी/समस्त कार्य आयोजना अधिकारी/समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

(3) Survey of India के Toposheet (1:50,000/1:15,000) आई.टी. शाखा को कार्य आयोजना अधिकारी/वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) उपलब्ध कराएँगे। आई.टी. शाखा द्वारा इन्हें Digitise किया जाएगा।

(कार्रवाई – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी/समस्त कार्य आयोजना अधिकारी/समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

(4) Digitised Block Map के 1:12500 स्केल पर मानचित्र तैयार किये जायेगे। Topohseet को Superimpose कर Toposheet के प्रमाणिकरण का परीक्षण आई.टी. शाखा द्वारा किया जाएगा। विसंगति का निराकरण आई.टी. शाखा World View Satellite Imagery तथा Digitised Revenue Map से किया जाएगा। Google Earth Imagery को आधार नहीं माना जाएगा।

(कार्रवाई – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी)

(5) इस प्रकार तैयार Digitised Toposheet के स्थल पर प्रमाणिकरण का कार्य कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(कार्रवाई– समस्त कार्य आयोजना अधिकारी)

(6) स्थल प्रमाणिकरण के दौरान् कार्य आयोजना अधिकारी को स्थल एवं नक्शों में कोई विसंगति मिलती है तो तत्काल वह आई.टी. शाखा से संपर्क कर इसका निराकरण कराएँगे।

(कार्रवाई– समस्त कार्य आयोजना अधिकारी /अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी)

(HS Mohanta)

(7) सारे Blocks का स्थल प्रमाणिकरण कार्य आयोजना अधिकारी से हो जाने के पश्चात् इ समस्त नक्शों के स्थल प्रमाणिकरण का कार्य क्षेत्रीय वनमडलाधिकारी द्वारा भी किया जाएगा।

(कार्रवाई– समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

(8) उपरोक्तानुसार तैयार Digitised Toposheet/ Block Maps पर कार्य आयोजना अधिकारी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।

(कार्रवाई– समस्त कार्य आयोजना अधिकारी / समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

(9) जिन Blocks का मानचित्र उपलब्ध नहीं है तो Block Notification के आधार पर तथा Revenue Map को Base Map मानकर Block का Reconstruction किया जाएगा। एक बार Block Map बन जाने के बाद कण्डिका 4 (2) से 4 (8) का पालन कर नक्शे बनाये जाएँगे।

(कार्रवाई– समस्त कार्य आयोजना अधिकारी)

(10) स्पष्ट किया गया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का आई.टी. शाखा कार्य आयोजना अधिकारी तथा क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों के लिए एक Facilitator के रूप में कार्य करेगा। Digitised Map के लिए Block Maps, Block Notification, Topohseet उपलब्ध कराना तथा तैयार नक्शों का स्थल प्रमाणिकरण करने का कार्य कार्य आयोजना अधिकारी/क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी का ही होगा।

(कार्रवाई– समस्त कार्य आयोजना अधिकारी/समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

(11) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, (ऑचलिक), भोपाल/जबलपुर/ इन्दौर को संबंधित कार्य आयोजना अधिकारी/क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी Digitisation की प्रगति से समय–समय पर अवगत कराते रहेंगे।

(कार्रवाई– समस्त कार्य आयोजना अधिकारी/समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

(12) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, (आंचलिक), भोपाल/जबलपुर/ इन्दौर अपने स्तर पर समय–समय पर Digitised नक्शे तैयार करने की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) को इस संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे।

(कार्रवाई– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) ऑचलिक)

(13) **प्रत्येक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, (आंचलिक) अपने क्षेत्र के कार्य आयोजना के कुल नक्शों का 5 प्रतिशत नक्शों का स्थल निरीक्षण कर नक्शों की प्रमाणिकता की जांच करेंगे।**

(कार्रवाई– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) ऑचलिक भोपाल/ जबलपुर/ इंदौर)

(14) प्रत्येक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, (आंचलिक) प्रत्येक तीन माह में वनमण्डलावार/कार्य आयोजना इकाईवार मानचित्रों के Digitisation का प्रगति प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) को देंगे तथा इसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक को देंगे।

(कार्रवाई– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) ऑचलिक भोपाल/ जबलपुर/ इंदौर)

(15) **स्पष्ट किया गया कि उपरोक्तानुसार नक्शे उन कार्य आयोजना इकाईयों के लिए भी तैयार किया जायेगा जिन कार्य आयोजना इकाईयों का द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है/प्रस्तुत हो चुका है, परन्तु कार्य आयोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

(कार्रवाई– समस्त कार्य आयोजना अधिकारी)

(HS Mohanta)

5. कंडिका 02 के अनुपालन में श्री एस.के.सिंह, वनमंडलाधिकारी, उत्तर सिवनी सामान्य वनमंडल के द्वारा पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजना के भाग–1 का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं श्री हरिशंकर मोहन्ता वन संरक्षक, कार्य आयोजना, सिवनी द्वारा भाग–2 का प्रस्तुतीकरण किया गया।

विचार विर्मश उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

(1) वन विकास निगम एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत हस्तांतरित वनक्षेत्र को पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजना के प्रबंधन में सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त क्षेत्र को कार्य आयोजना में सम्मिलित किया जावेगा।

(कार्रवाई–कार्य आयोजना अधिकारी,सिवनी)

(2) वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त राजस्व भूमि रकवा 14.57 हेक्टेयर को प्राथमिकता से अधिसूचित कराने की कार्यवाही की जावे। प्राप्त भूमि को कार्य आयोजना क्षेत्र में समाहित किया जाय।

(कार्रवाई –व.मं.अ. उत्तर सा. सिवनी/मु.व.सं. सिवनी/व.सं. का.आ. सिवनी)

(3) वन खण्डों की सीमा रेखाओं व मुनारों के सम्बन्ध में वर्शवार प्रस्तुत की गई योजना को आगामी वर्शो में कार्य आयोजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किये जाने वाले प्रस्ताव में समावेश किया जावेगा। बजट की उपलब्धता के अनुसार मुनारा निर्माण का कार्य पूर्ण किया जावेगा।

(कार्रवाई – व.मं.अ. उत्तर सा. सिवनी)

(4) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रदाय किये गये वनाधिकार पत्र के आधार पर आवंटित वनक्षेत्रों का डिजिटाईज्ड मानचित्र 1:4000 स्केल पर संबधित विभाग से प्राप्त कर कार्य आयोजना अधिकारी को उपलब्ध कराये जावेंगे।

(कार्रवाई – व.मं.अ. उत्तर सा. सिवनी)

(5) वनमंडल से संबंधित निम्नानुसार अभिलेख/जानकारी कार्य आयोजना अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना शेष है :–

132 वनखंड मानचित्र/248 वनखंड इतिहास/अवर्गीकृत वनक्षेत्रों की मानचित्र, क्षेत्रफल पंजी/33कक्ष इतिहास/वनमंडल पुस्तिका/चराई नियंत्रण प्रपत्र/कुओं में जल स्तर अभिलेख/वनक्षेत्रों में जलधाराओं में जल प्रवाह की स्थिति/फिनोलॉजिकल ऑकडे।

उपरोक्तानुसार समस्त अभिलेख/जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी द्वारा जनवरी, 2016 तक कार्य आयोजना अधिकारी सिवनी को उपलब्ध कराया जावेगा।

(कार्रवाई – व.मं.अ. उत्तर सा. सिवनी)

(6) **वनमंडल उत्तर सिवनी के अंतर्गत अनेक ऐसे वन कक्ष है, जो एक से अधिक वन खण्डों का भाग है। उदाहरण के लिये आरक्षित वन कक्ष कमांक 151 जो वनखंड रामनगरी–1सी,पिपरिया(अ),पिपरिया(ब) एवं रामनगरी में शामिल है। इन सभी वन खण्डों के गठन की अधिसूचना अलग–अलग वर्षो में जारी हुई है। अतः स्पष्ट है कि यह क्षेत्र बाद में आरक्षित वन के रुप में अधिसूचित हुई है परन्तु इन वन खण्डों के वनक्षेत्र के लिए अलग से कक्ष क्रमांक आवंटित नही किया गया बल्कि कक्ष क्रमांक 151 के अन्तर्गत ही इन्हें रखा गया है।**

कार्यालयीन पत्र कमांक/काआ/माचि/1611 दिनांक 15.12.1995 द्वारा वन कक्षो का पुनः कमांकन के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार "कोई गैर वनक्षेत्र संरक्षित वन अथवा आरक्षित वन के

(HS Mohanta)

रुप में अधिसूचित होने पर उस कक्ष को जिले के अंतिम वन कक्ष कमांक से आगे का कमांक दिया जावेगा। चाहे वह किसी भी वन खण्ड में हो।"

अतः उत्तर सिवनी वनमंडल के समस्त ऐसे वन कक्ष जो एक से अधिक वन खण्डों का भाग है। उन कक्षों को पत्र दिनांक 15.12.1995 के अनुसार पुनः कमांकन किया जावेगा।

(कार्रवाई – कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(7) जैव विविधता एवं वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, म.प्र. भोपाल के द्वारा समय–समय पर प्रसारित किये गये निर्देशों के अनुरुप कार्य आयोजना में समावेश किया जावेगा एवं अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

(कार्रवाई– कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(8) वन संसाधन सर्वेक्षण हेतु कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा प्रस्तावित 278 ग्रिड बिन्दुओं का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना ऑचलिक, जबलपुर के पत्र कमांक 317 दिनांक 30.7.2015 द्वारा प्रदाय अनुमोदन अनुसार सर्वेक्षण का कार्य किया जावेगा।

(कार्रवाई– कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(9) स्थूण एवं स्कंध विश्लेशण सागौन प्रजाति के लिये वनमंडल स्तर पर नये सिरे से किया जावेगा तथा इससे प्राप्त आंकड़ो को राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के आंकड़ों के साथ मिलान किया जावेगा। शेश प्रजातियों के राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं अखिल भारतीय वृद्धि गणना के आंकड़ों का उपयोग किया जावेगा।

(कार्रवाही – कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(10) सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची का अनुमोदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (ऑचलिक) जबलपुर से प्राप्त किया जाकर कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

(कार्रवाई–अ.प्र.मु.व.सं., का.आ.–आंचलिक, जबलपुर एवं. कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(11) संनिधि मानचित्रण 1:12,500, प्रबंधन मानचित्र 1:50,000 एवं वनमंडल मानचित्र 1:250000 के स्केल में तैयार किया जावेगा।

(कार्रवाई – कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(12) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का मूल्यांकन 5 प्रतिशत समितियों में किया जावेगा।

(कार्रवाई – कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(13) पांच वर्श से अधिक पुराने सफल वृक्षारोपण क्षेत्र का मूल्यांकन किया जावेगा।

(कार्रवाई– कार्य आयोजना अधिकारी,. सिवनी)

(14) कार्बन इंन्वेन्ट्री के सम्बन्ध में भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्तावना एवं संक्षिप्त विवरण का उल्लेख कार्य आयोजना में पृथक से किया जावेगा।

(कार्रवाई– कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(15) वनक्षेत्र के बाहर वृक्षों का सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा तैयार किया गया वन आवरण मानचित्र के आधार पर वनमंडल उत्तर सिवनी के क्षेत्र के लिए एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जावेगा। मानचित्रों में उच्च दाब विद्युत लाईन दर्शाई जावेगी। **(कार्रवाई– कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)**

(16) (i) अकाश्ठीय वनोपज के प्रबंधन के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक का.आ./ माचि/179/936 दिनांक 20.02.2012 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(कार्रवाई– कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(Hs Mohanta)

(ii) अकाश्ठीय वनोपज पेड/पौधों/झाडियों/बेलाओं के कक्षवार उपलब्धता के आंकलन का कार्य वन संसाधन सर्वेक्षण के दौरान ही किया जायेगा। यदि राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर आंकडे उपलब्ध हो तो इसका भी उपयोग किया जावेगा।

(कार्रवाई – कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(iii) अकाश्ठीय वनोपज के उपलब्धता के आंकडे वनमंडल कार्यालय/स्थानीय बाजार से प्राप्त किया जायेगा।

(कार्रवाई– कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(iv) अकाश्ठीय वनोपज के Sustainable Harvest के संबंध में म.प्र. राज्य लघुवनोपज संघ, TFRI जबलपुर, राज्य वन अनुसंधान संस्थान (SFRI) जबलपुर द्वारा प्रकाशित मैन्युअल के आधार पर कार्य आयोजना में उल्लेख किया जायेगा।

(कार्रवाई – लघु वनोपज संघ/कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी)

(17) प्रधान मुख्य वन संरक्षक,की अध्यक्षता में गठित समिति एक उच्चस्तरीय समिति है जो कार्य आयोजना पुनरीक्षण से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर निर्णय/मार्गदर्शन देने हेतु गठित हुई है। अतः कार्य आयोजना पुनरीक्षण के लिए वाहन,मजदूरों को रखे जाना, जॉबदर निर्धारित करने संबंधित बिन्दुओं पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना– आंचलिक, के द्वारा विभागीय मापदंडो एवं प्रचलित नियमों/निर्देशों से अंतिम आवश्यक स्वीकृति प्रदान किया जावेगा।

(कार्रवाई–अ.प्र.मु.व.सं., का.आ.–आंचलिक, जबलपुर)

(18) कार्य आयोजना सिवनी में एक मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड–II के पद पर पदस्थिति मुख्य वन संरक्षक सिवनी द्वारा किया जावेगा।

(कार्रवाई–मुख्य वन संरक्षक सिवनी वृत्त सिवनी)

(19) कार्य आयोजना का द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन सितंबर 2016 एवं कार्य आयोजना का अंतिम प्रतिवेदन मार्च 2017 तक प्रस्तुत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाई–कार्य आयोजना अधिकारी, सिवनी/अ.प्र.मु.व.सं.,का.आ. (आंचलिक) जबलपुर)

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(एच.एस.मोहन्ता)
वन संरक्षक
कार्य आयोजना,सिवनी
मध्यप्रदेश

(डॉ.धर्मेन्द्र वर्मा)
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना–आंचलिक
जबलपुर, मध्यप्रदेश

(जव्वाद हसन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख,
मध्यप्रदेश भोपाल,

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF)
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुलग्नक 1

1) Abbreviations for 51 districts of state to be referred for creating Designation based mail id (Approved by CS)

S No	DISTRICT	Abbreviations	Sr No	DISTRICT	Abbreviations
1	Alirajpur	ALP	27	Mandla	MDL
2	Anooppur	ANP	28	Mandsaur	MNS
3	Ashoknagar	ASN	29	Morena	MRA
4	Badwani	BDW	30	Narsinghpur	NRP
5	Balaghat	BGT	31	Neemuch	NMH
6	Betul	BTL	32	Panna	PNA
7	Bhind	BHD	33	Raisen	RSN
8	Bhopal	BPL	34	Rajgarh	RJG
9	Burhanpur	BHN	35	Ratlam	RTM
10	Chhattarpur	CTR	36	Rewa	RWA
11	Chhindwara	CDW	37	Sagar	SGR
12	Damoh	DMO	38	Satna	STN
13	Datia	DTA	39	Sehore	SEH
14	Dewas	DWS	40	Seoni	SNI
15	Dhar	DHR	41	Shahdol	SDL
16	Dindori	DND	42	Shajapur	SJP
17	Guna	GUN	43	Sheopur	SHP
18	Gwalior	GWL	44	Shivpuri	SVP
19	Harda	HRD	45	Sidhi	SDH
20	Hoshangabad	HBD	46	Singrauli	SGL
21	Indore	IND	47	Tikamgarh	TKM
22	Jabalpur	JBP	48	Ujjain	UJN
23	Jhabua	JHB	49	Umaria	UMR
24	Katni	KTN	50	Vidisha	VDS
25	Khandwa	KHD	51	Agar Malwa	AGM
26	Khargone	KHG			

S. No.	Circle Name	Division Name	lenth_km	Name
1	Rewa	Rewa	653.400482	Akash Dekate
2	Rewa	Satna	948.076927	Akash Dekate
3	Rewa	Singrauli	461.876675	Akash Dekate
4	Rewa	Sidhi	409.451739	Akash Dekate
5	Sanjay Tiger Reserve	Sanjay National Park	454.533598	Akash Dekate
6	Shahdol	South Shahdol	384.014888	Akash Dekate
7	Shahdol	North Shahdol	336.251643	Akash Dekate
8	Shahdol	Anuppur	570.798504	Akash Dekate
9	Shahdol	Umaria	435.100939	Akash Dekate
10	Bandhavgarh Tiger Reserve	Bandhavgarh NP	375.816713	Akash Dekate
11	Jabalpur	East Mandla	441.953393	Ravindra Dhakad
12	Jabalpur	Jabalpur	566.049652	Ravindra Dhakad
13	Jabalpur	West Mandla	519.075205	Ravindra Dhakad
14	Jabalpur	Katni	620.997472	Ravindra Dhakad
15	Jabalpur	Dindori	661.721952	Ravindra Dhakad
16	Kanha Tiger Reserve	Kanha National Park (Buffer)	477.56377	Ravindra Dhakad
17	Kanha Tiger Reserve	Kanha National Park (Core)	338.167372	Ravindra Dhakad
18	Balaghat	North Balaghat	470.338734	Veena Mourya
19	Balaghat	South Balaghat	606.796706	Veena Mourya
20	Chhindwara	East Chhindwara	685.634907	Ashish Shrivastava
21	Chhindwara	West Chhindwara	505.796996	Ashish Shrivastava
22	Chhindwara	South Chhindwara	406.603218	Ashish Shrivastava
23	Seoni	North Seoni	482.488377	Veena Mourya
24	Seoni	Narsinghpur	564.457109	Veena Mourya
25	Seoni	South Seoni	590.425873	Veena Mourya
26	Pench Tiger Reserve	Pench National Park	379.452805	Veena Mourya
27	Chhatarpur	North Panna	472.940064	Sangeeta Yadav
28	Chhatarpur	South Panna	521.460435	Sangeeta Yadav
29	Chhatarpur	Chhatarpur	957.095904	Sangeeta Yadav
30	Chhatarpur	Tikamgarh	824.955516	Sangeeta Yadav
31	Panna Tiger Reserve	Panna National Park	265.011707	Sangeeta Yadav
32	Sagar	Damoh	608.647574	Sangeeta Yadav
33	Sagar	North Sagar	606.353843	Sangeeta Yadav
34	Sagar	South Sagar	728.193979	Sangeeta Yadav
35	Sagar	Noradehi	383.527893	Sangeeta Yadav
36	Bhopal	Bhopal	385.673861	Dhaniram Mali
37	Bhopal	Rajgarh	471.604584	Dhaniram Mali
38	Bhopal	Obedullahganj	465.213315	Dhaniram Mali
39	Bhopal	Sehore	913.835695	Dhaniram Mali
40	Bhopal	Vidisha	668.179635	Dhaniram Mali
41	Bhopal	Raisen	733.070019	Dhaniram Mali
42	Hoshangabad	Harda	315.134486	Dhaniram Mali
43	Hoshangabad	Hosangabad	633.360599	Dhaniram Mali
44	Satpuda Tiger Reserve	Satpuda Tiger Reserve	316.99989	Dhaniram Mali
45	Shivpuri	Guna	689.250923	Ashish Shrivastava
46	Shivpuri	Ashok Nagar	437.040068	Ashish Shrivastava
47	Shivpuri	Shivpuri	1040.70684	Ashish Shrivastava
48	Madhav National Park	Madhav National Park	189.09991	Ashish Shrivastava
49	Gwalior	Bhind	560.200893	Ravindra Dhakad

S.No.	Circle Name	Division Name	lenth_km	Name
50	Gwalior	Gwalior	388.258431	Ravindra Dhakad
51	Gwalior	Morena	630.833675	Ravindra Dhakad
52	Gwalior	Sheopur	742.435733	Ravindra Dhakad
53	Gwalior	Datiya	504.580835	Ravindra Dhakad
54	Kuno Van Prani Sheopur	Kuno Palpur Van Prani Sheopur	294.898064	Ravindra Dhakad
55	Betul	West Betul	382.085475	Ashish Shrivastava
56	Betul	South Betul	523.91831	Ashish Shrivastava
57	Betul	North Betul	384.760409	Ashish Shrivastava
58	Khandwa	Barwani	336.580392	Deepak Tiwari
59	Khandwa	Burhanpur	349.922251	Deepak Tiwari
60	Khandwa	Khandwa	611.339132	Deepak Tiwari
61	Khandwa	Sendhwa	393.915392	Deepak Tiwari
62	Khandwa	Khargone	560.972413	Deepak Tiwari
63	Khandwa	Barwah	395.184123	Deepak Tiwari
64	Indore	Indore	537.884248	Deepak Tiwari
65	Indore	Dhar	598.81574	Deepak Tiwari
66	Indore	Alirajpur	485.28328	Deepak Tiwari
67	Indore	Jhabua	343.826369	Deepak Tiwari
68	Ujjain	Mandsaur	599.617331	Veena Mourya
69	Ujjain	Ujjain	733.635298	Veena Mourya
70	Ujjain	Ratlam	582.351985	Veena Mourya
71	Ujjain	Dewas	853.68196	Veena Mourya
72	Ujjain	Neemuch	637.508394	Veena Mourya
73	Ujjain	Shajapur	730.367956	Veena Mourya